उपखण्ड अधिकारी
कठूमरी

17/4/17

की धारा 10 भू-राजस्व अधि. के अन्तर्गत दायर
मूल दावे के कारण आज दिनांक 17/4/17 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 18/5/17 को
की जावेगी।

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2017

18/5/17 पत्रावलि आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 में पेश हुई। पत्रावली में पक्षकारों ने लिखित में बयान किया है कि मसिलात ने जिनका नम्बर केसकर्ता ने छिड़ालाल के स्थान पर हरिलाल करा या करवाया है। जो नामान्तरण सं. 222 में शुद्ध हो चुकी है। अतः अब पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः कार्यवाही Drop करते हुये पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती की जावे। शाश्वत वर्धन

नामा. जं. 222 की शुद्धिकरण किया गया
पत्रावली पेश
18/5/17

उपखण्ड अधिकारी
कठूमरी

835-36
6.5.17